

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-124

पटना, दिनांक-03.09.2026

कार्यालय आदेश

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वदेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर ई-टाईप एवं डी-टाईप आवास, गर्दनीबाग आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg I'd	नाम/पदनाम	कार्यालय/विभाग	आवंटित आवास
1.	BG8651	श्री नितिन कुमार सिंह, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव	पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग	E2/203, गर्दनीबाग
2.	BG8652	श्रीमती अनन्या सिंह, भा0प्र0से0, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	जीविका, ग्रामीण विकास विभाग	E3/604, गर्दनीबाग
3.	BG7030	श्री विनीत कुमार, भा0पु0से0 पुलिस अधीक्षक	आतंकवाद निरोधक दस्ता	E3/404, गर्दनीबाग
4.	BG2334	श्री पूरन कुमार झा, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक	पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय	E2/204, गर्दनीबाग
5.	GZ5600	श्री सत्यम सहाय, उप सचिव	मुख्यमंत्री सचिवालय	D2/204, गर्दनीबाग
5.	-	श्री सुजीत कुमार सागर, वरिय पुलिस उपाधीक्षक	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो	D2/303, गर्दनीबाग
6.	BG8653	मो0 मुस्तकीम, महाप्रबंधक	सामान्य प्रशासन, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम	D2/304, गर्दनीबाग
7.	BG8635	श्री अशोक कुमार, वरिय पुलिस उपाधीक्षक	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो	D2/401, गर्दनीबाग
8.	BG8647	श्री परिमल कुमार, उप निदेशक	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	D2/402, गर्दनीबाग
9.	BG8632	श्री संतोष कुमार, राज्य-कर उपायुक्त	वाणिज्य-कर विभाग	D8/401, गर्दनीबाग
10.	BG2268	श्रीमती स्मृति कुमारी, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार	समाज कल्याण विभाग	D2/403, गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010
2.	डी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी
पटना, दिनांक:-03.09.2026

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-8310(भ)
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी